ग़ैरहाज़िर रहने की छुट्टी के दौरान आपके अधिकारों की सूचना

यदि इस पुस्तिका, या आपके उपचार को समझने के लिए आपको सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया किसी भी समय स्टाफ से निवेदन करें।

ग़ैरहाज़िर रहने की छुट्टी क्या होती है?

इनपेशेंट उपचार आदेश (Inpatient Treatment Order) मानसिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को उस समय उपचार दिए जाने का एक कानूनी माध्यम है जब वे उपचार के लिए सहमत होने में सक्षम न हों और जब सम्भवत: वे सुरक्षित न हों।

ग़ैरहाज़िर रहने की छुट्टी उपचार केंद्र से बाहर रहने की एक स्वीकृत समयावधि है, जो किन्हीं शर्तों के अधीन हो सकती है।

यदि मैं ग़ैरहाज़िर रहने की छुट्टी पर हूँ, तो इसका क्या अर्थ है?

यदि आप इनपेशेंट उपचार आदेश के अधीन हैं, तो आपके लिए उपचार केंद्र में रहते हुए अपने मानसिक रोग का उपचार कराना आवश्यक हो जाएगा।

उपचार में टॉक थेरेपी, दवा का प्रयोग और अन्य व्यवधान शामिल हो सकते हैं। ये उपचार प्रशिक्षित स्वास्थ्य व्यवसायियों द्वारा प्रदान किए जाएंगे जैसे कि डॉक्टर, नर्स, व्यावसायिक चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और मनोविज्ञानी। ये व्यवसायी पहले से स्वस्थ होने में आपकी मदद करने के लिए आपके साथ कार्य करेंगे।

उपचार केंद्र का निर्देशक ग़ैरहाज़िर रहने की आपकी छुट्टी को मंजूर कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आप किसी निश्चित समयावधि के लिए उपचार केंद्र छोड़ कर जा सकते/सकती हैं।

यदि ग़ैरहाज़िर रहने की आपकी छुट्टी के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से पूछें।

उपचार केंद्र का निर्देशक ग़ैरहाज़िर रहने की आपकी छुट्टी को रद्द कर सकता है। जितनी जल्दी संभव होगा, कर्मचारी आपको इसकी सूचना देंगे और यदि आप कहीं और हैं, तो वे उपचार केंद्र वापस आने में आपकी मदद करेंगे।

निर्देशक उपचार केंद्र से ग़ैरहाज़िर रहने की आपकी छुट्टी पर शर्तें लगा सकता है। शर्तों को इसलिए लगाया जाता है ताकि आपकी सुरक्षा को बरकरार रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आपका उपचार प्रभावपूर्ण रहता है, और शर्तों में निम्नलिखित रोक और निर्देश शामिल हो सकते हैं:

> किसी ख़ास स्थान पर न जाना।
> किन्हीं ख़ास लोगों से न मिलना।
> ख़ास गतिविधियों में शामिल न होना।
> मदिरापान या ड्रग्स का सेवन न करना।

ग़ैरहाज़िर रहने की आपकी छुट्टी पर लगी शर्तों से परे, आप वो सब कर सकते/सकती हैं जो आपको पसंद हो।

ग़ैरहाज़िर रहने की आपकी छुट्टी के साथ-साथ, आपको उपचार और देखभाल की आपकी योजना का अनुपालन करने और उन गतिविधियों में शामिल न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो आपकी जारी बहाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हों। यदि आपको इसके बारे में किसी प्रकार की अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया हमारे उपचार दल से बात करें।

ग़ैरहाज़िर रहने की आपकी छुट्टी की किन्हीं शर्तों का अनुपालन करने के अतिरिक्त, आपके लिए यह आवश्यक है कि आप निर्देशक द्वारा निश्चित किए गए समय पर उपचार केंद्र लौट आएं।

जब मैं ग़ैरहाज़िर रहने की छुट्टी पर होता/होती हूँ, तो मेरे क्या अधिकार हैं?

यदि आपके उपचार को लेकर आप प्रसन्न नहीं हैं, तो आप किसी भी समय अपने उपचार दल से बात कर सकते/सकती हैं। यदि आप इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हैं कि आपकी चिंताओं पर ध्यान दिया गया है, तो आप एक औपचारिक शिकायत कर सकते/सकती हैं। इस पुस्तिका में उन सेवाओं के फोन नंबर दिए गए हैं जो सम्भवत: आपके लिए सहायक हो सकती हैं।

आपकी सूचना गोपनीय है परंतु यदि कानूनी तौर पर, सेवाओं के वितरण के लिए या फिर सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक हो तो इसका खुलासा किया जा सकता है। यदि आपके निरंतर उपचार और देखरेख के लिए समुचित रूप से ऐसा करना आवश्यक हो और यह आपके श्रेष्ठ हितों के लिए हो, तो सूचना को अन्य संस्थाओं, या किसी रिश्तेदार, देखरेखकर्ता या मित्र के साथ भी साझा किया जा सकता है।

यदि मैं उपचार केंद्र पर वापस नहीं आता/आती हूँ, तो क्या होगा?

यदि आप निर्देशक द्वारा निश्चित किए गए समय पर उपचार केंद्र पर वापस नहीं आते/आती हैं, तो आप अपने आदेश का उल्लंघन करेंगे। कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आप उपचार केंद्र पर वापस आते/आती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मानसिक रोग के लिए उपचार प्राप्त करना जारी रखें और सुरक्षित रहें।

पक्षसमर्थन (Advocacy)

समय-समय पर आपको या आपके परिवार को मानसिक स्वास्थ्य तंत्र को समझने में सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।

पीयर वर्कर (Peer Worker)

उपचार केंद्र पर पीयर वर्कर या पीयर विशेषज्ञ मौजूद हो सकते हैं जो कि आपकी सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया स्टाफ से निवेदन करें। देखभाल करने वालों और परिवारों की मदद करने के लिए एक देखरेखकर्ता सलाहकार (Carer Consultant) भी उपलब्ध हो सकता है।

सामुदायिक आगंतुक योजना (Community Visitor Scheme) एक स्वतंत्र क़ानूनी निकाय है जो अनुमोदित उपचार केंद्रों की जांच करता है और उपचार केंद्रों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए पक्षसमर्थन करता है।

दूरभाष: 08 7425 7802 टोल फ्री: 1800 606 302

सरकारी सलाहकार का कार्यालय (The Office of the Public Advocate) एक स्वतंत्र संस्था है जो मानसिक अक्षमता से ग्रस्त लोगों को सलाह देती है, उनकी सहायता और उनका पक्षसमर्थन करती है।

दूरभाष: 08 8342 8200 टोल फ्री: 1800 066 969

साउथ ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता पक्षसमर्थन एवं शिकायत सेवा (The Disability Advocacy and Complaints Service of South Australia) एक गैर-सरकारी संस्था है जो किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त लोगों का पक्षसमर्थन और उनकी ओर से शिकायत दर्ज करने में उनकी सहायता करती है।

दूरभाष: 08 8297 3500 कंट्री टोल फ्री: 1800 088 325

MALSSA एक गैर-सरकारी संस्था है जो कि मानसिक स्वास्थ्य तंत्र के उपभोक्ताओं का पक्षसमर्थन करती है, विशेषकर उन उपभोक्ताओं का जो अँग्रेज़ी न बोलने वाली और सांस्कृतिक व भाषाई तौर पर भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित होते हैं।

दूरभाष: 08 8351 9500

भाषा के साथ सहायता

दुभाषिया व अनुवाद केंद्र (Interpreting and Translating Centre)

दूरभाष: 08 8226 1990

अनुवाद व दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service)

दूरभाष: 131 450 (राष्ट्रीय)

नेशनल रिले सेवा (National Relay Service)

सुनने और बोलने संबंधी समस्याओं के लिए।

दूरभाष: 133 677 टोल फ्री: 1800 555 677

शिकायतें (Complaints)

उपचार केंद्रों (Treatment Centres) पर वो अधिकारी मौजूद होते हैं जो पूछताछ और शिकायतों में मदद कर सकते हैं। स्टाफ से निवेदन करें कि वे सही व्यक्ति से संपर्क करने में आपकी मदद करें।

मुख्य मनोरोग चिकित्सक (The Chief Psychiatrist) सुरक्षित और प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करता है।

दूरभाष: 08 8226 1091

स्वास्थ्य व सामुदायिक सेवाओं संबंधी शिकायतों का आयुक्त (The Health and Community Services Complaints Commissioner) शिकायतों को हल करने में मदद करता है।

दूरभाष: 08 8226 8666

टोल फ्री: 1800 232 007

© Department of Health and Ageing, Government of South Australia. All rights reserved. Printed June 2012

Government of South Australia

SA Health

अधिकारों का विवरण

Leave of absence

(ग़ैरहाज़िर रहने की छुट्टी)

मुख्य मनोरोग चिकित्सक का कार्यालय

HINDI

Government of South Australia

SA Health